।। श्री अग्रसेन जयते ।।

रजि. 25/97-98

महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित

अग्रसेन महिला महाविद्यालय

राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य वि. वि. अलवर से सम्बद्ध

खेरली (अलवर) राजस्थान

M:. 7230921921

PROSPECTUS

2019-2020

अग्रकुल प्रवर्तक

महाराजा श्री अग्रसेन जी

महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान

खेरली (अलवर) राज.

विवरणिका

2019-2020

प्राचार्य

रामावतार खण्डेलवाल

(एम. काम., एम. फिल)

≅ **संपादक मण्डल** ≅

श्री तरूण जैन (सम्पादक)

श्री सौरभ अग्रवाल (सह सम्पादक)

श्री भूपचन्द शर्मा (सदस्य)

अग्रसेन महिला पी. जी. महाविद्यालय

खेरली (अलवर) राज.

मो. : 7230921921

Email-agrsenmahavidyalay@gmail.com

प्राचार्य सन्देश

" सा विद्या या विमुक्तये "

प्रिय छात्राओं,

सत्र 2019-2020 के शिक्षण सत्र के शुभारम्भ के पुनीत अवसर पर अग्रसेन महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ । महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली समस्त छात्राओं एवं उनके अभिभावकों का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ । महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान खेरली (अलवर) द्वारा संचालित यह महाविद्यालय महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्थापना वर्ष 1997 से निरन्तर अपनी अहम् भूमिका निभा रहा है ।

वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रत्येक युवा का स्वप्न है । ग्रामीण क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की उपलब्धता स्थानीय छात्राओं के लिए वरदान है। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओ की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकता एवं अपेक्षाओ की पूर्ति करने हेतू दृढ संकल्पित है।

यह शिक्षण संस्थान छात्राओ के सम्पूर्ण व्यक्तित्व यथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक बने यह हमारा ध्येय है, इस हेतु महाविद्यालय में अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है, जैसे वाचनालय, पुस्तकालय, सभागार कैण्टीन, सुसज्जित प्रयोगशाला, N.S.S., Wi Fi युक्त कम्प्यूटर लैब, खेलकूद का मैदान आदि। महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण उच्च श्रेणी का रहे इसके लिए श्रेष्ठ एवं U.G.C. योग्यताधारी अनुभवी शिक्षको द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियाँ निरन्तर सम्पन्न कराई जाती है।

महाविद्यालय के विकास यात्रा में भागीदार प्रबन्ध तंत्र के समस्त पदाधिकारियो के सकारात्मक एवं अपेक्षित सहयोग के लिए मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विगत कई वर्षो से निरन्तर हमारे विद्यार्थियो की संख्या में वृद्धि हो रही है और ये हमें बताता है कि अभिभावकों और छात्राओ का इस संस्था पर पूर्ण विश्वास है और यही हमारी शक्ति और प्रेरणा है।

महाविद्यालय प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकास शुल्क/शिक्षण शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है । यह अत्यन्त सराहनीय प्रयास है, छात्राओं को अर्हकारी कक्षा में निम्न प्रकार प्राप्तांक प्राप्त करने पर छूट प्रदान की जायेगी

विज्ञान संकाय के लिए :

95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - पूर्णतया (100%)शिक्षण/ विकास शुल्क मुक्त
90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - शिक्षण शुल्क में 75% की छूट
85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - 3000/- की छूट

कला संकाय के लिए :

90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - पूर्णतया (100% की छूट
85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - 75% की छूट
80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - 2400/- की छूट

मुझे विश्वास है आप ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने जा रही है जिसमें उच्चतम शिक्षा एवं उत्तम भविष्य की अपार संभावनाएं है : अत: मैं इस महाविद्यालय प्रांगण में आपके आगमन का स्वागत करता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभ कामनाएँ सहित।

रामावतार खण्डेलवाल
प्राचार्य

26 जनवरी 2019 को गणतन्त्र दिवस पर झण्डे को सलामी देते हुए
प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य एवं अग्रवाल समाज-खेरली के सदस्य

महाविद्यालय में स्काउट गाइड एवं एन.एस.एस. का प्रदर्शन

महाविद्यालय परिसर में आपसी सद्भाव से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम

महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का दृश्य

श्रीमती अनार देवी कंसल केन्द्रीय पुस्तकालय

संस्था का संक्षिप्त परिचय

अग्रसेन महिला महाविद्यालय अरावली श्रृंखला के सामीप्य में अवस्थित, खेरली शहर में कठूमर रोड़ पर स्थित है । खेरली मत्स्य राज्य का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र रहा है । यहां की अनाज मण्डी मत्स्य प्रदेश की प्रमुख मण्डी रही है । इसी आधार पर इस शहर को गंज खेरली अथवा खेरली गंज के नाम से भी जाना जाता है ।

खेरली अलवर जिले का सीमावर्ती शहर है । सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से इस शहर का भरतपुर संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है । अग्रसेन महिला महाविद्यालय खेरली, आगरा - जयपुर - बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग नं.- 11, पर खेरली मोड से 13 किलोमीटर की दूरी पर कठूमर रोड पर स्थित है । खेरली स्टेशन आगरा-बांदीकुई ब्राडगेज रेल लाइन पर भरतपुर बांदीकुई के मध्य स्थित है । सड़क के माध्यम से भी खेरली शहर अलवर भरतपुर एवं जयपुर से जुड़ा है ।

यह महाविद्यालय ग्रामीण छात्राओं की प्रगति के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है । यह क्षेत्र रणबांकुरों, कर्मयोगियों की कर्मस्थली रहा है । एक ओर परिसर में ज्ञान अर्जित करती हुई छात्राऐं तो दूसरी ओर खेतों में काम करते हुए कृषक वन्धु यहां के ज्ञान और कर्म के अनुपम समन्वय को उद्घाटित करते है ।

सार्वजनिक यातायात के समुचित साधनों का अभाव होते हुए भी महाविद्यालय में अध्ययन पिपासु छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । छात्र संख्या की आवश्यता के अनुसार भवन निर्माण के पुनीत कार्य में यहां की जनता एवं पड़ौसी ग्रामीण तन- मन - धन से निरन्तर योगदान कर रहे है ।

अग्रवाल समाज, खेरली के होली मिलन मार्च 1997 समारोह में इस उद्देश्य हेतु महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान से जुडे हुए प्रमुख बुद्धिजीवियों एवं नगर सेठों के अथक प्रयास एवं श्री महाराजा अग्रसेन जी की अनुकम्पा एवं प्रेरणा से अग्रसेन महिला महाविद्यालय की स्थापना उसी वर्ष 1997 में हुई । 11 अगस्त 1997 को विधिवत हवन एवं श्री अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना के साथ महाविद्यालय में अध्यापन कार्य का शुभारम्भ हुआ । प्रथम सत्र में छात्राओं की संख्या 67 थी, जो क्रमशः बढ़कर सत्र 2011-12 में 635 हो गई थी । अब वर्ष 2017-18 में 958 छात्राऐं अध्ययनरत है । वर्ष 2001 की परीक्षा में कुं. लक्ष्मी गर्ग ने वि. वि. में पांचवा स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया । सत्र 2004-05 से यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत हो चुका है । महाविद्यालय की छात्र संख्या निरन्तर वृद्वि पर है । 2004 से स्नातकोत्तर स्तर व स्नातक स्तर के परीक्षा परिणाम निरन्तर शत प्रतिशत रहें है । सत्र 2014-15 से महाविद्यालय में एम. एस. सी. रसायन विज्ञान तथा गणित की कक्षाऐं भी प्रारम्भ हो चुकी है

महाविद्यालय का नवीन भवन

अग्रसेन महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु दानदाता लाला श्री सन्तोष कुमार जी जगवायन ने 14 [illegible] जमीन दान देकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है । भवन निर्माण हेतु अग्रवाल समाज के अगले 19 दानदाताओं द्वारा 829000 की धनराशि प्राप्त हुई है । इस स्थल पर महाविद्यालय की नींव रखने में ग्राम पंचायत दारौदा के समस्त ग्रामवासियों का सहयोग सराहनीय रहा है तथा भविष्य में भी सहयोग अपेक्षित है ।

नवीन महाविद्यालय निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम भी श्री सन्तोष जगवायन द्वारा 25 नवम्बर 1999 को पूर्ण विधि विधान से सम्पन्न किया गया । भवन निर्माण प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और विस्तार निरन्तर जारी है ।

महाविद्यालय के संचालन एवं नवीन भवन के निर्माण में अग्रवाल समाज के दानदाताओं एवं उत्साही सदस्यों के प्रति अग्रसेन शिक्षण संस्थान एवं महाविद्यालय परिवार अपना आभार व्यक्त करता है ।

भविष्य में भी इस प्रकार का सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा ऐसी आशा है । लगभग 30 लाख रूपये से निर्मित नवीन भवन का उद्घाटन 8 दिसम्बर 2001 को किया गया। वर्ष 2015-16 में भी दो कक्षों का निर्माण कराया गया है । सत्र 16-17 में भी एक कक्षा कक्ष एवं एक छात्रा सुविधा कक्ष का निर्माण कराया गया । इसी के साथ छात्राओं के खेल-कूद वास्ते एक वास्केट बॉल कोर्ट का निर्माण कराया गया। सत्र 2017 में महाविद्यालय में नवीन सभागार का निर्माण कराया गया तथा इसके साथ ही 4 कक्षा कक्ष निर्मित किए गए। इसी सत्र में P.G. महाविद्यालय से लेकर बी.एड. कॉलेज तक सीमेण्टेड सडक का भी निर्माण कराया गया। सत्र 2018-19 में महाविद्यालय प्रांगण में 3 नवीन कमरों का निर्माण कराया गया ।

महाविद्यालय के प्रथम सत्र 1997-98 में अनिवार्य विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त चार ऐच्छिक विषय - हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में अध्यापन कार्य का श्री गणेश हुआ । सत्र 1999-2000 से अर्थशास्त्र विषय में भी अध्यापन कार्य का शुभारम्भ हुआ । इसी क्रम में सत्र 2000-2001 से इतिहास, सत्र 2002-2003 में गृहविज्ञान, सत्र 2005-2006 से भूगोल तथा सत्र 2012-13 से अंग्रेजी साहित्य व लोक प्रशासन विषय स्नातक स्तर पर प्रारम्भ किये गये ।

सत्र 2004-2005 से ही महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर को प्राप्त कर चुका है । वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान व गणित विषय में अध्यापन कार्य चालू है । महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से सर्वोत्तम रहा है । अत: महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर है । विगत वर्ष सत्र 2017-18 में विज्ञान वर्ग में 60 सीटो की वृद्धि हुई है।

प्रशासनिक स्वरूप

अग्रसेन महिला महाविद्यालय की समस्त व्यवस्था एवं समुचित संचालन का भार श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी समिति वहन करती है । जिसका निर्वाचन सर्वदा लोकतांत्रिक ढंग से शिक्षण संस्थान के आजीवन सदस्यों द्वारा किया जाता है । प्रबंध समिति के प्रमुख पदाधिकारी यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष के साथ - साथ अधिकाधिक सदस्यों की भागीदारी से समस्त व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित की जाती है ।

पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन- अध्यापन निम्नलिखित विषयों में कराया जाता है । तथा सत्र 2011-2012 से विज्ञान संकाय में स्नातक तथा 2014-15 से एम. एस सी. रसायन विज्ञान तथा गणित का अध्यापन प्रारम्भ किया जा चुका है ।

प्रथम वर्ष	बी. एस.सी.	बी. ए.
अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय	वैकल्पिक विषय समूह:- (कोई तीन विषय)
1. सा. हिन्दी	1. वनस्पति विज्ञान	1. भूगोल
2. सा. अंग्रेजी	2. जन्तु विज्ञान	2. राज. विज्ञान / लोक प्रशासन
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग	3. भौतिक विज्ञान	3. हिन्दी साहित्य / अंग्रेजी / समाजशास्त्र / अर्थशास्त्र
4. पर्यावरण अध्ययन	4. रसायन विज्ञान	4. संस्कृत / गृह विज्ञान / इतिहास
	5. गणित	

नोट:- किसी भी विषय में 10 से कम छात्राएँ होने पर वह विषय संचालित नही किया जायेगा।

बी. ए. वर्ष द्वितीय व तृतीय

द्वितीय व तृतीय वर्ष में वही विषय स्वीकृत किये जाएँगे जो छात्रा के पास प्रथम वर्ष के दौरान थे ।

एम. ए. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध

विषय

1. राजनीति विज्ञान 2. संस्कृत 3. हिन्दी 4. भूगोल

नोट: एम. ए. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में जिस विषय में विकल्प उपलब्ध है, छात्र को वही विकल्प स्वीकृत किया जायेगा। जिसकी व्यवस्था महाविद्यालय में मान्य होगी।

एम. एस. सी. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध

1. रसायन विज्ञान 2. गणित

नवीन प्रवेश नीति

1. स्नातक स्तरीय कक्षाओं में प्रवेश नीति :-

(अ) अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्र है। पूरक परिणाम प्राप्त छात्र इस विवरणिका में पूरक छात्राओं हेतु निर्धारित निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें अन्यथा उन्हें प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता है।

(ब) बी. ए. भाग द्वितीय, तृतीय हेतु शैक्षणिक सत्र - सारणी का अवलोकन करें।

टिप्पणियाँ :-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने (10+2+3) अथवा (10+2+2) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।

2. प्रवेश हेतु कुल स्थानों में अपर्याप्त प्रवेश की स्थिति में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु कंडिका 2.1 (ब) के प्रवेशार्थियों को (यदि उपलब्ध हो तो), महिला प्रवेशार्थियों का तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय के प्रवेशार्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

3. पूर्वार्द्ध में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः उसी विषय में पूर्वार्द्ध में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जावेगा किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। तथा पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने के पश्चात् यदि छात्र बी. एड./ पी. ई. टी./ पी. एम. टी. में चयन होने पर या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चयन होने के बाद टी. सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चले जाते है तथा कतिपय कारणवश उनका प्रवेश नहीं होने पर पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में आयुक्तालय को सूचित करते हुए एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

4. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य / अंतिम स्नातक परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर दिया जा सकेगा।

5. अन्तराल के पश्चात प्रवेश के सम्बन्ध में नियम 1.6 में दी गई शर्तें यथावत लागू होंगी। जिसमें स्नातक प्रथम भाग के स्थान पर स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) पढ़ा जावे।

2.2 स्नातकोत्तर कक्षा में वर्ग / विषय / पेपर्स में स्थानों की सीमा :

(अ) कला एवं वाणिज्य संकाय के विषयों में एक वर्ग / विषय / पेपर में अधिकतम 40 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु 20 से कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(ब) स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विषय हेतु उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 20 से कम (महिला महाविद्यालय के लिए 10) रहने की स्थिति में वह विषय उस शिक्षण सत्र के लिए स्थगित कर दिया जावेगा।
परन्तु जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय की न्यूनतम संख्या में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी।
(स) सभी संकायों के पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध में जहां एक से अधिक पेपर हो वहां पूर्वार्द्ध में प्रविष्ट / पूर्वार्द्ध के उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता के आधार पर उपलब्ध विकल्पों में योग्यता क्रम में समायोजित कर दिया जावे। पांच से कम छात्र होने पर वह वैकल्पिक पेपर / शाखा वर्तमान सत्र में संचालित नहीं की जावे।

<u>2.3 योग्यता का निर्धारण :-</u>

(अ) समान संकाय में प्रवेश हेतु :-

प्रवेश संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जावेगा।

<u>(1) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर</u>

अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम / द्वितीय वर्ष की कक्षाओं के श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के प्राप्तांकों के योग्य में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांको को जोड़कर आवेदित कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत स्नातक परीक्षा के कुल पूर्णांक तथा आवेदित विषयों के उक्त परीक्षाओं के पूर्णांक के आधार पर निकाला जावेगा। भले ही ये परीक्षाएं भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हो। जिन विषयों की प्रायोगिकी एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है। उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा। तत्पश्चात् यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय हो तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जावेगा। योग्यता सूची में दो छात्रों के अंको का प्रतिशत समान होने की स्थिति में आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जावेगी।

<u>(2) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर</u>

विद्यार्थी के प्राप्तांक में 5 की कमी करने के बाद उपलब्ध प्रतिशत को मेरिट का आधार बनाया जावेगा दोनों वर्गों की सम्मिलित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

(ब) अन्य संकाय में प्रवेश हेतु :-

पात्र अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान से कला तथा वाणिज्य से कला संकाय में परिवर्तन के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की पृथक योग्यता सूची बनाई जावेगी। स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश के योग्य होंगे। यदि स्थान रिक्त हो तथा न्यूनतम योग्यता रखने वाले सामान्य अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो आयुक्त कालेज शिक्षा से पूर्व अनुमति प्राप्त करके इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत से अधिक भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

<u>(स) योग्यता सूची में ऑनर्स स्नातक की प्राथमिकता का क्रम :-</u>

ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जावेगी। योग्यता क्रम में वरीयता के आधार पर प्रवेश दिये जावेंगे। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें सामान्य पाठ्यक्रम में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई है। (द) यदि कोई अभ्यर्थी बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम की पुनः परीक्षा देकर अपने अंकों की वृद्धि कर लेता है। तो उसकी योग्यता का निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

<u>2.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण :-</u>

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह उनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है यदि उसका नाम बाद में जारी की गई किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 100 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जावेगा। ऐसा स्थानान्तरण प्रवेश की अन्तिम तिथि से [illegible] दिन बाद तक ही स्वीकार्य होगा।

(3) स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश के विषय हेतु इसी विवरणिका में दी गई शैक्षणिक सत्र - सारिणी का यथा स्थान अवलोकन करें।

विशेष नोट :- प्रवेशार्थी अंक तालिका की अतिरिक्त फोटो प्रतियाँ करवाकर अपने पास सुरक्षित कर ले जिससे आवश्यता पड़ने पर परेशान नहीं होना पडेगा ।

2. प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार :-

प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं ।

1. ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन - पत्र में कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो ।

2. ऐसा अभ्यर्थी जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क नहीं जमा कराया हो ।

3. ऐसा अभ्यर्थी जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो ।

4. ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो ।

5. ऐसा अभ्यर्थी जो वर्षों में किसी बड़े दुराचार / दुर्व्यवहार का अपराध हो ।

6. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रवेश के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो ।

7. ऐसा अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो ।

8. ऐसा अभ्यर्थी जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो ।

9. ऐसा अभ्यर्थी जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक /अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार / दुर्व्यवहार अथवा गाली - गलोज करने का दोषी हो । 10. प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण ।

3. अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के प्रवेश संम्बन्धी नियम:- एक बार नियमित प्रविष्ट या स्वयंपाठी विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है, या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा 75% उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा । लेकिन यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय /अन्तर्राज्यीय /अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा । यदि कोई विद्यार्थी एक संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद पुनः अन्य संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है अथवा कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

4. पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश :- (अ) पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकेंगें । यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।

(ब) किसी भी विषय में पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को उसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी को उस विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा (स) अर्हकारी परीक्षा में परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिए पूरक परीक्षा के विषय / पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांको के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जाऐंगे । (द) ऐसे पूरक परीक्षा घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर उक्त नियमित प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा ।

5. पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्तीर्ण अथवा विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश :-

किसी विद्यार्थी को उसकी उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए तभी अनुमति दी जावेगी जब वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम-

विशेष नोट :- प्रवेशार्थी अंक तालिका की अतिरिक्त फोटो प्रतियाँ करवाकर अपने पास सुरक्षित कर ले जिससे आवश्यता पड़ने पर परेशान नहीं होना पडेगा ।

2. प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार :-

प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं ।

1. ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन - पत्र में कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो ।
2. ऐसा अभ्यर्थी जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क नहीं जमा कराया हो ।
3. ऐसा अभ्यर्थी जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो ।
4. ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो ।
5. ऐसा अभ्यर्थी जो वर्षों में किसी बड़े दुराचार / दुर्व्यवहार का अपराध हो ।
6. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रवेश के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो ।
7. ऐसा अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचारधीन हो ।
8. ऐसा अभ्यर्थी जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो ।
9. ऐसा अभ्यर्थी जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक /अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार / दुर्व्यवहार अथवा गाली - गलोज करने का दोषी हो । 10. प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण ।

3. अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के प्रवेश संम्बन्धी नियम:- एक बार नियमित प्रविष्ट या स्वयंपाठी विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है, या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा 75% उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय को उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा । लेकिन यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय /अन्तर्राज्यीय /अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा । यदि कोई विद्यार्थी एक संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद पुन: अन्य संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है अथवा कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

4. पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश :- (अ) पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकेंगें । यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।

(ब) किसी भी विषय में पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को उसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी को उस विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा (स) अर्हकारी परीक्षा में परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिए पूरक परीक्षा के विषय / पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांको के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जाऐंगे । (द) ऐसे पूरक परीक्षा घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर उक्त नियमित प्रवेश स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा ।

<u>5. पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्तीर्ण अथवा विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश :-</u>

किसी विद्यार्थी को उसकी उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए तभी अनुमति दी जावेगी जब वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम-

घोषित होने के 10 दिन की अवधि में 31 दिसम्बर तक (जो भी पहले हो) प्रवेश हेतु आवेदन करें पुनर्मूल्यांकन के परिणाम 31 दिसम्बर के बाद घोषित किये जाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय नियमित प्रवेश दिये जाने की अन्तिम तिथि (31 दिसम्बर) में शिथिलता प्रदान कर देता है, तो उसी के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा । यह प्रावधान स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश हेतु ही मान्य होंगे । किसी कारणवश परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाने की स्थिति में छात्रों के प्रवेश से सम्बन्धित प्रकरण इस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे ।

6. स्वयंपाठी अभ्यर्थियों का प्रवेश :- स्नातक स्तर की कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्राओं को प्रवेश निम्नानुसार दिया जा सकेगा ।

क्र.सं. आवेदन कर्ता अभ्यर्थी	प्रवेश हेतु मानदण्ड
1. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	1.1 की सारणी में निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप पात्रता होने पर प्रथम वर्ष में योग्यता सूची में वरीयता के अनुसार प्रवेश देय होगा ।
2. प्रथम वर्ष स्वयंपाठी के रूप मेंउत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोई पेपर बकाया ना हो ।	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय वर्ष में स्थान होने पर प्रवेश देय होगा ।
3. द्वितीय वर्ष स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोई पेपर बकाया न हो ।	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर तृतीय वर्ष में स्थान होने पर प्रवेश देय होगा ।
4. प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ।	तृतीय वर्ष में प्रवेश देय होगा ।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय में स्वयंपाठी छात्रों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जब समस्त नियमित छात्रों के प्रवेश देने के उपरान्त सम्बन्धित कक्षा / वर्ग में स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषयों का समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो ।

7. विषय परिवर्तन :- (अ) विषय परिवर्तन के लिए आवेदनकर्ता विद्यार्थियों को मात्र एक विषय के परिवर्तन की अनुमति मात्र एक बार दी जा सकेगी, यदि उस विषय / विषय संयोजन के स्थान उपलब्ध हो ।
(ब) संकाय / विषय परिवर्तन प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 50/- रूपये संकाय / विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराने पर ही संकाय प्रभारी की अनुमति से किया जा सकेगा ।
विशेष नोट :- प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति राज. विश्वविद्यालय एवं राजर्षि भृतहरि विश्वविद्यालय के नियम ही मान्य होंगे ।

8. उपस्थिति सम्बन्धी नियम :- माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय निर्देश के अनुसार 75 प्रतिशत न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति पूर्ण करने का दायित्व स्वयं छात्रा का होगा । विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में छात्रा को नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा । जिसके लिए छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगी ।

9. परीक्षा सम्बन्धी नियम :- परीक्षा सम्बन्धी नियम एवं जानकारी के लिए छात्राऐं समय समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट देखें ।

10. गणवेश सम्बन्धी नियम :-
बी.ए. प्रथम वर्ष :- सफेद सलवार कुर्ता, सफेद चुन्नी, सफेद जूते मौजे
बी.ए. द्वितीय वर्ष :- सफेद सलवार कुर्ता, हरी चुन्नी, सफेद जूते मौजे
बी.ए. तृतीय वर्ष :- सफेद सलवार कुर्ता, सलेटी चुन्नी, सफेद जूते मौजे
बी.एससी. प्रथम वर्ष :- सफेद सलवार कुर्ता, लाल चुन्नी, सफेद जूते मौजे
बी.एससी. द्वितीय वर्ष :-सफेद सलवार कुर्ता, नीली चुन्नी, सफेद जूते मौजे
बी.एससी. तृतीय वर्ष :- सफेद सलवार कुर्ता, पीली चुन्नी, सफेद जूते मौजे
एम.ए. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्ध :- सफेद सलवार कुर्ता, आसमानी चुन्नी, सफेद जूते मौजे
एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्ध:- सफेद सलवार कुर्ता, ओरेन्ज चुन्नी, सफेद जूते मौजे

11. अनुशासन सम्बन्धी नियम :- महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी छात्राओं को संस्था के नियमों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है । अनुशासहीनता की स्थिति में छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये दण्डित किया जा सकता है ।

11. पुस्तकालय सम्बन्धी नियम :- आपका पुस्तकालय आपके लिए पवित्र स्थान है । यहां पर उपलब्ध विविध विषयों की पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से आप अपनी ज्ञानवृद्धि कर सकती है । पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का अधिकाधिक उपयोग करना आपसे अपेक्षित है । पुस्तकालय से आप दो पुस्तकें एक साथ ले सकती हैं और अधिकतम
14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है । पुस्तकालय की पुस्तकों की संरक्षा एवं सुरक्षा आपका दायित्व है । कृपया पुस्तकों में कोई चिन्ह न लगाये, कोई रेखांकन, चित्रांकन अथवा नामांकन न करें तथा पुस्तक के किसी पृष्ठ को फाड़ने की कुचेष्टा न करें ।

कृपया पुस्तकालय एवं वाचनालय में शान्ति एवं अनुशासन बनाए रखें । ध्वनि प्रदूषण भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है । वाचनालय में हिन्दी एवं एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पाक्षिक / मासिक पत्रिकाएँ छात्राओं के लिए अध्ययन हेतु उपलब्ध है । रिक्त कालांश में छात्राएँ पुस्तकालय में विषय तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों का अध्ययन करें ।

छात्राओं को देय सुविधाएँ :

1. बस व्यवस्था :- छात्राओं को महाविद्यालय आने जाने हेतु निर्धारित शुल्क के आधार पर बस व्यवस्था उपलब्ध है । यह व्यवस्था खेरली, कठूमर, नाटीज एवं बरौलीछार, सालिमपुर, धनीपुरा, दांतिया, कालवाड़ी, सालवाड़ी, समूंची घाटा भावर, धौला, अलीपुर, नूनियाँ, मसारी, नगर, खेड़ली मोड, नदबई की ओर की छात्राओं के लिए उपलब्ध है ।
2. कैन्टीन:- छात्राओं को स्वल्पाहार एवं शीतल उष्ण पेय पदार्थो हेतु महाविद्यालय परिसर में कैन्टीन की व्यवस्था है
3. छात्रवृत्ति :- योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित छात्रवृत्तिया उपलब्ध है ।

1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	शासन द्वारा
2.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	निर्धारित अन्तिम तिथि तक
3.	मांडा योजना छात्रवृत्ति (केवल अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए)	
4.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से)	यथानुसार सूचित की जायेगी ।
5.	विकलांग छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से) उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित तिथि तक ऑन लाइन आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति की स्वीकृति संभव है । एक से अधिक प्रकार की छात्रवृत्ति अदेय है ।	यथानुसार सूचित की जायेगी ।
6.	मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना	यथानुसार सूचित की जायेगी ।

(4.). प्रतिभावान छात्राओं के लिए विशेष छूट :- प्रतिभावान छात्राओं के लिए महाविद्यालय शिक्षण शुल्क/विकास शुल्क में छूट निम्न प्रकार रहेगी।

विज्ञान संकाय के लिए :

95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - पूर्णतया (100%)शिक्षण/ विकास शुल्क मुक्त
90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - शिक्षण शुल्क में 75% की छूट
85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - 3000/- की छूट

कला संकाय के लिए :

90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - पूर्णतया (100% की छूट
85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - 75% की छूट
80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - 2400/- की छूट

सह शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ :

छात्राओं की बहुमुखी प्रतिभा उन्नयन हेतु महाविद्यालय में विविध गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है ।
1. राष्ट्रीय सेवा योजना :- छात्राओं में समाज सेवा की भावना उत्पन्न करने एवं सामाजिक क्षेत्रों में उनके सक्रिय योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयां कार्यरत है । इस योजना के अन्तर्गत छात्राओं के लिए समाज सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु 7 दिवसीय विशेष शिविर एवं तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाता है ।
2. महिला प्रकोष्ठ :-गत सत्र से महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, समस्त छात्राएँ इस प्रकोष्ठ की सदस्य होगी सदस्यता शुल्क मात्र 10 रू. होगा । इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रम प्रस्तुत करना है ।
3. खेलकूद :- महाविद्यालय में वालीबॉल, बास्केट बॉल ग्राउण्ड, बैडमिन्टन, खो - खो एवं एथलेटिक्स क्रिकेट तथा इन्डोर गेम्स आदि की व्यवस्था उपलब्ध है ।
4. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां :- छात्राओं की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति भी छात्राओं के लिए समय - समय पर गतिविधियाँ आयोजित करती है ।
5. N.C.C.:- 6. रेन्जर्स :- यह दोनों इकाईयाँ शीघ्र ही कॉलेज में प्रारम्भ की जाएगी ।

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2019 - 20

प्रथम भाग प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक पार्ट प्रथम

क्र.स.	विवरण	तिथि / क्र. से
1.	ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	शनिवार [illegible]
2.	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि प्रारम्भ होने की तिथि से	15 दिवस
3.	समस्त प्रवेश प्राप्ति पूर्ण करने की तिथि	बुधवार [illegible]
4.	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार सूची का प्रकाशन । सूची में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना । प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन । आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची / प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन आगे की प्रक्रियायें ।	[illegible] तिथियाँ जारी [illegible] सकेंगी ।
5.	संकाय / विषय परिवर्तन की अन्तिम तिथि	अन्तिम प्रवेश सूची से 15 दिवस में
6.	महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ	सोमवार 01-07-19 या प्रथम प्रतीक्षा सूची प्रकाशन की सूची के अगले दिन

स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश नीति के बिन्दु 5.9 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी ।

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) विधि पार्ट प्रथम

क्र.सं.	विवरण	तिथि / अवधि
1.	ऑन लाइन आवेदन-पत्र / कॉमन एडमिशन फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि	बुधवार 26-06-19 अथवा राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर आयुक्तालय स्तर पर निर्धारित तिथि से
2.	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	(अ) शुक्रवार 05-07-19 तक या (ब) सम्बद्धक विश्वविद्यालय की अर्हकारी (संबंधित संकाय) परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3.	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन । सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना । प्रवेशित अभ्यर्थियों का सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची / प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन आगे की प्रक्रियाएं -	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्तालय स्तर पर तिथियां जारी की जा सकेंगी ।
4.	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची के प्रकाशन के अगले दिन से

(ब) एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

क्र.स.	विवरण	वार एवं तिथि
1.	स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध शिक्षण कार्य प्रा.होने की तिथि	सोमवार 01-07-19
	स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध /एक्स स्टूडेन्ट द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	

साहित्यिक गतिविधियों का कलैण्डर सत्र-2019-20

जिला स्तरीय महाविद्यालय वाद-विवाद, क्विज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियाँ आयोजित होंगी	राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय (नवम्बर / दिसम्बर में आयोजित होंगी)
अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर टोंक	36	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महाविद्यालय,	वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता राज.महा. अजमेर में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) पं. नवल किशोर शर्मा रा.कला महाविद्यालय दौसा में आयोजित होगी
भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली सवाईमाधोपुर	26	एम.एस.जे. भरतपुर	
बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ, चूरू	29	डूंगर महाविद्यालय बीकानेर	
कोटा	कोटा, बांरा झालावाड, बूंदी	29	कला, कोटा	
जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर झुन्झुनु, अलवर	49	बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर	
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद चित्तौड़गढ, बांसवाडा, प्रतापगढ	37	राज.महा. चित्तौड़गढ़	
जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर	46	राजस्थान महाविद्यालय सिरोही	

सांस्कृतिक गतिविधियों का कलैण्डर सत्र-2019-20

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर/ नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1.	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम	समस्त राजकी महाविद्यालय में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधयां अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये।	1 व 2 एकल व समूह गीत प्रतियोगिता राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर में आयोजन
2.	समूह गीत		
3.	वाद्य संगीत		3 वाद्य संगीत प्रतियोगिता राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर में आयोजन
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोकनृत्य		4. एकल नृत्य प्रतियोगिता जानकी देवी बजाज कला कन्या कला महाविद्यालय कोटा में आयोजन
5.	समूह नृत्य		5. समूह नृत्य प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में आयोजन

नियम :

1. आयोजन संस्था 200/-रूपयेय प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./ एम.पी./ स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात की जा सकेगी।

साहित्यिक गतिविधियों का कलैण्डर सत्र-2019-20

जिला स्तरीय महाविद्यालय वाद-विवाद, क्विज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियाँ आयोजित होंगी	राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय (नवम्बर / दिसम्बर में आयोजित होंगी)
अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर टोंक	36	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महाविद्यालय,	वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता राज.महा. अजमेर में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) पं. नवल किशोर शर्मा रा.कला.महाविद्यालय दौसा में आयोजित होगी
भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली सवाईमाधोपुर	26	एम.एस.जे. भरतपुर	
बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, चूरू	29	डूंगर महाविद्यालय बीकानेर	
कोटा	कोटा, बारां झालावाड़, बूंदी	29	कला, कोटा	
जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर झुन्झुनू, अलवर	49	बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर	
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद चितौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़	37	राज.महा. चितौड़गढ़	
जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर	46	राजस्थान महाविद्यालय सिरोही	

सांस्कृतिक गतिविधियों का कलैण्डर सत्र-2019-20

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर/ नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1.	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम	समस्त राजकी महाविद्यालय में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधयां अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये ।	1 व 2 एकल व समूह गीत प्रतियोगिता राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर में आयोजन
2.	समूह गीत		
3.	वाद्य संगीत		3 वाद्य संगीत प्रतियोगिता राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर में आयोजन
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोकनृत्य		4. एकल नृत्य प्रतियोगिता जानकी देवी बजाज कला कन्या कला महाविद्यालय कोटा में आयोजन
5.	समूह नृत्य		5. समूह नृत्य प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में आयोजन

नियम :

1. आयोजन संस्था 200/-रूपयेय प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी ।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें ।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./ एम.पी./ स्थानीय प्रतिनिधी से ली जा सकती है ।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात की जा सकेगी ।

5. जिला स्तर पर आयोजित साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा ।

6. किसी समूह प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे । एकल एवं समूह प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थानों हेतु न्यूनतम चार टीमों का होना आवश्यक है । 7. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है।

द्वितीय भाग - सत्र की गतिविधियाँ एवं अवकाश

क्र.सं.	विवरण	बार एवं तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र आरम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन	सोमवार 01-07-2019
2.	कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	सोमवार 01-07-2019
3.	छात्र संघ चुनाव	अलग से आदेश जारी किए जायेंगे
4.	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
5.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय के अनुसार
6	प्रथम कक्षा टेस्ट	सितम्बर माह में
7.	दशहरा अवकाश	रविवार, 06-10- 2019 से मंगलवार, 08-10-2019 तक
8.	विश्वविद्यालय नामांकन	विश्वविद्यालय के अनुसार
9.	स्वयंपाठी छात्रो द्वारा परीक्षा फार्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
10.	दीपावली अवकाश	रविवार, 20-10- 2019 से मंगलवार, 29-10-2019 तक
11.	दूसरा कक्षा टेस्ट	दिसम्बर माह में
12.	शीतकालीन अवकाश	बुधवार, 25-12- 2019 से मंगलवार, 31-12-2019 तक
13.	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरूस्कार वितरण समारोह	शुक्रवार 31-01- 2020 तक
14.	एन.एस.एस./ एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियाँ	वर्ष पर्यन्त
15.	**वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ**	
(क)	स्नातक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
(ख)	स्नातकोत्तर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
16.	सत्र का समापन	शनिवार 30-06- 2020 तक तक
17.	परीक्षा परिणाम की घोषणा	विश्वविद्यालय के अनुसार
18.	नवीन सत्रारम्भ	बुधवार 01-07- 2020

वर्ष 2019-20 का छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्राप्ति स्वीकृति का सम्भावित कलैण्डर

क्र.सं.	विषय वस्तु / छात्रवत्ति का नाम	निर्धारित तिथियाँ
1.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना	
2.	उक्त छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान स्थित राजकीय/ निजी महाविद्यालयों का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीयन, प्रोफाईल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त महाविद्यालयों का पंजयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	15 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ
3.	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण का ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि/ पोर्टल बंद करने की अन्तिम तिथी	31 अगस्त, 2019 तक
4.	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पत्र आवेदन पत्र (आयुक्तालय/जिला नोडल अधिकारी/प्राचार्य)को फॉरवर्ड करने की अन्तिम तिथि	15 सितम्बर, 2019
5.	जिला नोडल अधिकारी महाविद्यालयों से प्राप्त मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्र स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजनान्तर्गत समस्त छात्रवृत्ति पत्रों की जांच उपरान्त आयुक्तालय को फॉरवर्ड करना अपूर्व आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/ विद्यार्थियों को प्रतिप्रषित (पुनः फारवर्ड) की अन्तिम तिथि	30 सितम्बर, 2019
6.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के महाविद्यालयों से प्राप्त समस्त 77 छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त स्वकृत करना अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/ विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) की अन्तिम तिथि	30 सितम्बर, 2019
7.	मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना योजनान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्रों की अस्थाई सूची जारी करने की अन्तिम तिथि	11 अक्टूबर, 2019
8.	विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करना	11 अक्टूबर, 2019
9.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वकृति जारी करना	11 अक्टूबर, 2019

शुल्क विवरण

क्रम सं.	शुल्क विवरण	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	प्रवेश शुल्क	30/-	30/
2.	क्रीडा शुल्क	70/-	70/
3.	विकास शुल्क	250/-	250/
4.	पुस्तकालय शुल्क	100/-	100/
5.	वाचनालय शुल्क	75/-	75/
6.	छात्र परिषद शुल्क	30/-	30/
7.	मनोरंजन शुल्क	40/-	40/
8.	स्वास्थ्य शुल्क	10/-	10/
9.	छात्रा कार्ड शुल्क	20/-	20/
10.	परिचय कार्ड शुल्क	20/-	20/
11.	महिला प्रकोष्ठ शुल्क	10/-	10/
12.	पुस्तकालय कार्ड	10/-	10/
13.	शैक्षणिक परिषद शुल्क	50/-	25/
14.	पुस्तकालय ऑपन शुल्क	50/-	50/
15.	कॉलेज पत्रिका शुल्क	20/-	20/
16.	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	30/-	30/
17.	पर्यावरण शुल्क	30/-	30/
18.	विविध शुल्क	155/-	80/
19.	सेमीनार शुल्क	----	100/
20.	कॉशनमनी (केवल प्रथम प्रवेश पर)	25/-	नये प्रवेश
21.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (केवल प्रथम बार)	75/-	आवश्यक होने
22.	कम्प्यूटर शुल्क (भाग प्रथम हेतु)	800/-	—
23.	लैब शुल्क (प्रायोगिक विषय हेतु)प्रति विषय	100/-	—

नोट : बस एवं संस्थान शुल्क उपर्युक्त के अतिरिक्त

शिक्षण दिवस सारिणी सत्र 2019-20

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

माह	रविवार	अन्य अवकाश	शिक्षण दिवस	विशेष विवरण
जुलाई 2019	04	-	27	
अगस्त 2019	04	03	24	
सितम्बर 2019	05	02	23	
अक्टूबर 2019	04	13	14	दशहरा अवकाश 06-10-19 से 08-10-19 दीपावली अवकाश 20-10-19 से 29-10-19
नवम्बर 2019	04	02	24	
दिसम्बर 2019	05	07	19	शीतकालीन अवकाश 25-12-19 से 31-12-19
जनवरी 2020	04	01	26	
फरवरी 2020	04	01	24	
मार्च 2019	05	03	00	वि. वि. परीक्षाऐं
कुल शिक्षण दिवस			181	

1. शिक्षण कार्य प्रारम्भ :: 01 जुलाई, 2019
2. अन्तिम शिक्षण दिवस :: 29 फरवरी, 2020
3. सत्र का अन्तिम कार्य दिवस :: 30 अप्रेल, 2020
4. परीक्षा अवधि :: विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा सारिणी के अनुसार
5. ग्रीष्मावकाश :: 01 मई 2020 से 30 जून, 2020
6. शैक्षणिक सत्र का समापन :: 30 जून 2020

आवश्यक दिशा निर्देश

1. प्रवेश फार्म पूर्ण कर निर्धारित पूर्ण शुल्क निश्चित अन्तिम तिथि तक जमा करावें। पूर्ण शुल्क जमा कराने पर ही प्रवेश मान्य होगा। शुल्क में देरी करने पर रु/- प्रतिदिन के दर से लेट फीस देय होगी।
2. कक्षाएं समय से प्रतिदिन सम्बन्धित निर्धारित समय से प्रारम्भ हो रही हैं।
3. छात्राएं कक्षाओं में निर्धारित समय से उपस्थित रहें। विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम 75 % उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर वि. वि. परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
4. छात्राएं निर्धारित पूर्ण गणवेश तथा ID Card के साथ ही महाविद्यालय में प्रवेश करें अन्यथा महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
5. छात्राएं वाहन निर्धारित स्थान पर ही रखें।
6. छात्राएं महाविद्यालय परिसर में पूर्ण अनुशासन का पालन करें।
7. छात्राएं रिक्त कालांश में पुस्तकालय, वाचनालय में अध्ययन करें। परिसर में अनावश्यक भ्रमण न करें।
8. किसी भी परिस्थिति में प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय में जमा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
9. महाविद्यालय में उपस्थित होने के बाद बीच में यदि आवश्यक कारण होने पर ही संरक्षक (फोटो मिलान होने पर) के साथ ही वापिस भेजा जायेगा।
10. छात्राएं प्रवेश फार्म में निर्धारित स्थान पर अपने दूरभाष मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखें। महाविद्यालय द्वारा इसी नम्बर पर आपको सूचना दी जायेगी। अन्यथा मोबाइल नम्बर नहीं मिलने पर सूचना की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
11. छात्राएं यदि अपना मोबाइल नम्बर बदलती हैं तो इसकी सूचना कार्यालय में दें व मोबाइल नम्बर में संशोधन करवाएं अन्यथा महाविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. कॉलेज वाहन में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश एवं ID Card होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

अभिभावकों हेतु दिशा निर्देश

1. अभिभावकों को निर्देशित किया जाता है कि वे छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश में आने हेतु बाध्य करें।
2. महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन व अन्य इलैक्ट्रिक उपकरण लाना वर्जित है। अभिभावकों से आग्रह किया जाता है कि वे छात्राओं को मोबाइल फोन व अन्य उपकरण महाविद्यालय में ना ले जाने हेतु बाध्य करें। आवश्यकता होने पर अभिभावक/छात्रा महाविद्यालय के मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं।
3. महाविद्यालय परिसर में छात्रा द्वारा मोबाइल लाने पर प्रतिबन्ध है। छात्रा द्वारा मोबाइल लाने पर जब्त कर लिया जायेगा।

अग्रसेन महिला महाविद्यालय

खेरली (अलवर) राजस्थान

माँ सरस्वती

महाविद्यालय परिसर में नव निर्मित सभागार

वाहन व्यवस्था

मूल्य : प्रवेश फार्म सहित 60/- रूपये